UPGK010000452000

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः– प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा

विशेष परीक्षण संख्या–238/2000

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1. शंकर यादव (मृतक)
2. बैजनाथ यादव पुत्र शंकर यादव
3. अछैवर यादव (मृतक)
4. रामनरायन यादव पुत्र जगमोहन यादव

निवासीगण सनहा, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर।

.... **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–20/1999

अंतर्गत धारा–323/34,504,506,452 भा०दं०सं० व धारा– 3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

थाना– महिला पुलिस, **जनपद**– गोरखपुर।

निर्णय

इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शंकर यादव, बैजनाथ यादव, अछैवर यादव व रामनरायन यादव का विचारण धारा– 323/34,504,506,452 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत थाना महिला पुलिस, जिला गोरखपुर के मामले में किया गया।

हस्तगत मामला वादिनी मुकदमा हुमेलिया पासी पत्नी रुपई पासी निवासी ग्राम सनहा तप्पा हवेली, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के लिखित तहरीर पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रार्थिनी जाति की हरिजन (पासी) है। हमारे गांव के शंकर यादव पुत्र तमेश्वर पता उपरोक्त एक सरकस एवं गोलबन्द किस्म के आदमी है। इनके घर असमाजिक तत्व आते जाते

उठते बैठते है। इस कारण उनका गांव पर दबदबा बना हुआ है। प्रार्थिनी सुरेश पासी के साथ रहती है। शंकर यादव हम हरिजनों की जमीन जबरन.......... रहे है। महिला थाना ने भी उन्हे विवाद निपाटने के लिए कहा था परन्तु नही माने। दिनांक 28–06–1999 को जब शंकर यादव विवादित भूमि को घेरने लगे तो हम प्रार्थिनी और हमारे भतीजा सुरेश उन्हे रोकने लगे इस परवे अपने लडको वैजनाथ व अक्षैवर तथा राम नरायन यादव पुत्र जगमोहन यादव को लाठी डण्डा व कट्टे से लैस होकर के हमारे दरवाजे पर आये और सुरेश को न पाकर उपरोक्त लोगो ने लाठी डण्डा से पीटना शुरु किया और शंकर यादव ने मेरा गला दबा दिया। किसी तरह गांव के बीच बचाव से प्रार्थिनी बच पायी। जाते समय अभियुक्तो ने यह धमकी दिया कि यदि थाने गयी तो तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार को जान से मार डाला जायेगा। शंकर यादव गुण्डो के बल पर हमारे जमीन को जबरन घेरा रहे है।

वादिनी मुकदमा के उक्त लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 30–06–1999 को थाना महिला पुलिस, जनपद गोरखपुर पर अभियुक्तगण शंकर यादव, वैजनाथ यादव, अक्षैवर यादव व राम नरायन यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–20/1999, धारा– 323,504,506,452 भा0दं0सं0 व धारा– 3(1)X एस.सी./एस.टी.एक्ट दर्ज किया गया, जिसकी प्रविष्टि थाने की जी0डी0 में की गई। विवेचक द्वारा इस प्रकरण में विवेचना की गई। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार की गयी। दौरान विवेचना उनके द्वारा गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना की सभी कार्यवाही को पूर्ण करने के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण शंकर यादव, वैजनाथ यादव, अक्षैवर यादव व राम नरायन यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–20/1999, धारा– 323,504,506,452 भा0दं0सं0 व धारा– 3(1)X एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 06–03–2002 को अभियुक्तगण शंकर यादव, वैजनाथ यादव, अक्षैवर यादव व राम नरायन यादव के विरूद्ध धारा–323/34,504,506,452 भा0दं0सं0 तथा धारा–3(1)X एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया व विचारण की माँग की।

दौरान मुकदमा अभियुक्तगण शंकर यादव व अक्षैवर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की गयी है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 05 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये, जो निम्नवत हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम एवं उसके अभिसाक्ष्य की तिथि	विवरण
पी०डब्लू०–1	पारस	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०–2	भानमती	चक्षुदर्शी साक्षी
पी०डब्लू०–3	आनन्द सैनी	विशेषज्ञ साक्षी

पी०डब्लू०–4	सरोज पाण्डेय	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०–5	ओम प्रकाश पाण्डेय	तथ्यगत साक्षी

इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के किसी अन्य साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा को साक्षी पी०डब्लू०–2 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। साक्षी पी०डब्लू०–1,3,4 व 5 को मामले के समर्थक साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी पी०डब्लू–2 ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में प्रमाणित किया है और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों यथा आरोप पत्र, चिक एफ.आई.आर., नक्शा नजरी, कायमी जी.डी., चोटहिल की चिकित्सीय रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है व तथ्यों से इंकार किया गया है।

दं०प्र०सं० की धारा–313 के अंतर्गत अभियुक्तगण बैजनाथ यादव व रामनरायन का बयान अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत कहा है तथा गलत विवेचना करके गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। पंचायतन जमीन मिली थी बाद में नियत बदल गयी तथा नुकसान पहुंचाने के लिये फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। बिल्कुल निर्दोष है।

मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–323/34,504,506,452 भा०दं०सं० व धारा– 3(1)X एस.सी./एस.टी.एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित कर मामले का विचारण किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा आरोपों को सारतः साबित किया जाना कहा गया है और कथित घटनाक्रम के तारीख, समय व स्थान के पुष्टि के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने योग्य होना कहा गया।

उपरोक्त तर्कों के विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिये गये कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे होने के कारण दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०–1** के रूप में **पारस** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना करीब आज से 25 वर्ष पहले की है। शंकर यादव पुत्र तमेश्वर मेरे गाँव के रहने वाले हैं उनको जानता पहचानता हूँ। उस मुकदमे की वादिनी हुमेलिया पत्नी रुपई पासी को मैं नहीं जानता हुँ। मैं घटना के संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। गवाहों के नाम दरोगा जी ने कैसे लिख लिया उसका मुझे जानकारी नहीं है। विवचेक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर जिरह की है। साक्षी पी०डब्लू०–1 पारस ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह को 161

सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि इस प्रकार बयान मैंने नहीं दिया था विवेचक ने कैसे लिख लिया इसका मैं कोई कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि बैजनाथ व रामनरायन यादव मुल्जिम मेरी जाति बिरादरी के हैं उन्हें बचाने की गरज से आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों नात–रिश्तेदार व मेरे नात–रिश्तेदार एक बिरादरी के हैं उन लोगों के दवाब में आकर आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा झूठा बयान दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि वादिनी हुमेलिया मेरे गांव की रहने वाली है उसे मैं जानता पहचानता हूँ। मुल्जिमानों को बचाने के लिए आज मैं यह बयान दिया हूँ कि वादिनी को मैं नहीं जानता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने कोई घटना अपनी आँखों से नहीं देखा था और घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि घटना के दिन मैं कहीं बाहर गया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था न तो कोई पूछताछ किया था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों को बचाने के लिए आज न्यायालय में गलत बयान दे रहा हूँ।

इस प्रकार साक्षी द्वारा अपने मुख्य बयान एवं जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया। अभियोजन साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में वर्णित तथ्य का समर्थन न किये जाने के फलस्वरूप अभियोजन केस का समर्थन किया जाना नहीं कहा जा सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू–2 भानमती** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना हुए करीब 26 साल हुए सुबह 08:00 बजे की घटना है। मैं पासी जाति की हूँ। वादिनी हुमेलिया मेरी सास थी मेरे सास की मृत्यु हो चुकी है। मेरी सास मुकदमा लिखवाई थी। उस मुकदमे में मैं गवाह हूँ। हुमेलिया की जमीन पर कब्जा करने की नियत से शंकर, बैज व रामनरायन सभी लोग चढ़कर मेरे दरवाजे पर आये। उपरोक्त मुल्जिमान अपने हाथ में डण्डा लिए सपरकर आये। मेरी सास हुमेलिया व मेरे पति सुरेश को उपरोक्त लोग लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मुल्जिमानों के मारने पीटने से मेरी सास हुमेलिया मेरे पति सुरेश को चोट लगी थी। उक्त लोगों के मारने पीटने से मेरे सास का हाथ टूट गया था। शामिल मिसिल कागज सं०–5क को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे सास हुमेलिया का निशानी अँगूठा है जिसे मैं तस्दीक करती हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैं घटनास्थल पर मौजूद थी। मैंने घटना अपनी आँखों से देखा था। पुलिस के अधिकारी घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किये।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू–2 से जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी उम्र 80 से ऊपर होगी। घटना 26 वर्ष पूर्व की है। घटना लगभग 8:00 बजे दिन है। मेरे पाँच बच्चे हैं। सुरेश मेरे पति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुरेश के पिता का नाम रामवली था वह मेरे ससुर थे। हुमेलिया के पति का नाम रूपई था। हुमेलिया व उनके पति मर चुके हैं। हुमेलिया मेरी सगी सास नहीं थी जिस जमीन का विवाद है वह मेरे घर से सटे है। विवादित जमीन के बावत मेरे लड़के सचिदानन्द व मुराती देवी के बीच कोई सुलहनामा हुआ हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। 13.07.2020 को मैं अपने घर पर थी। मेरा घर तनहा है। मेरा लड़का सचिदानन्द ड्यूटी करता है पढ़ाता है तथा लड़का मेरे साथ घर पर ही रहता है। यह कहना गलत है कि सुलहनामे के बावत मैं जानबूझकर झूठ बोल रही हूँ। इस घटना के बावत मेरा कोई

डाक्टरी परीक्षण नहीं हुआ है न ही पुलिस ने मेरा डाक्टरी परीक्षण कराया है। गब्बू पासवान को मैं जानती हूँ मेरे पट्टीदार हैं। गब्बू ने विवादित जमीन अभियुक्त शंकर यादव (मृतक) को नहीं लिखा था न तो दिया था। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन गब्बू ने शंकर को बेच दिया था। हुमेलिया ने उपरोक्त मुकदमा महिला थाने पर लिखवाया था। घटना की रिपोर्ट जो हुमेलिया पासी ने किया था उसमें मात्र अपने मार खाने की बात कहा है। मेरे नाम का तशकिरा बतौर गवाह या चोटहिल अंकित नहीं किया है। घटना के दूसरे दिन हुमेलिया ने थाने पर जाकर मुकदमा लिखवाया था। विवादित जमीन पर मेरा कब्जा है। गब्बू तीन औरत लाये थे। हुमेलिया के घर कोई न रहने के कारण उस जमीन पर मैंने कब्जा कर लिया। यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना नहीं देखा और झूठी गवाही दे रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि जमीन पर कब्जा कर लेने के कारण मुल्जिमान के विरूद्ध झूठी गवाही दे रही हूँ।

इस प्रकार साक्षी द्वारा अपने मुख्य बयान एवं जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, किन्तु घटना को साबित करने के लिए केवल इसका साक्ष्य या कथन पर्याप्त नही है। इस साक्षी ने कोई ऐसी बात नही बतायी है जिससे घटना को संदेह से परे साबित किया जा सके।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू–3 आनन्द सैनी** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोराबार में दिसम्बर 2017 से फर्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। न्यायालय के आदेश पर आज मैं चोटहिल हुमेला से सम्बन्धित इन्जरी रजिस्टर लेकर आया हूँ। इस रजिस्टर का देखरेख करता हूँ। वर्तमान समय में यह रजिस्टर मेरे अभिरक्षा में रहता है। इस रजिस्टर के पेज नं० 41 पर चोटहिल हुमेला उम्र 75 वर्ष पति का नाम रुपई निवासी सनहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर चोटो का मुआइना हुआ है। संबन्धित डाक्टर ने मजरुब उपरोक्त के चोटों का मुआइना कर इन्जरी दिनांक 28.06.1999 को समय 12:30PM को दर्ज किया है। उक्त चोटों का मुआइना किया है। मूल रजिस्टर मेरे सामने है। जिसकी इन्जरी रिपोर्ट पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10क है। जिसे मूल रजिस्टर से मिलान कर छायाप्रति प्रमाणित किया गया। जिसे प्रमाणित कर पत्रावली में दाखिल कर रहा हूँ। मजरुब के शरीर पर डाक्टर ने तीन चोटे पाते हुए लिखा है शामिल पत्रावली कागज संख्या 10 क पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उक्त रजिस्टर 31.05.1999 से 08.11.1999 तक है। मेडिकल आफिसर इन्चार्ज द्वारा इस रजिस्टर को प्रमाणित किया गया है। इस रजिस्टर में कुल पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 237 तक है।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू–3 से जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि 2017 के पूर्व कौन–कौन से डॉक्टर नियुक्त थे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो डॉक्टर मुआइना किये थे मैं उनको जानता पहचानता नहीं हूँ और न ही मेरी पहले कभी मुलाकात हुई है, न ही मैं उनका सिग्नेचर पहचानता हूँ। दिसम्बर 2017 से आज तक PHC खोराबार में मैं नियुक्त हूँ। जो डॉक्टर पीड़िता का डॉक्टरी मुआइना किये है वर्तमान में कहाँ है उनके बारे में मेरे पास न ही मेरे रजिस्टर से कोई जानकारी उपलब्ध है। जीवित है कि नहीं यह भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं डॉक्टर साहब की लिखावट सही तरह से नहीं पढ पा रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं गलत रजिस्टर तैयार करके आज न्यायालय में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह साक्षी विशेषज्ञ साक्षी है। यह तथ्य का गवाह नहीं है मात्र औपचारिक साक्षी है जिसने अपने पदीय कर्तब्य के निर्वहन में चोटहिल हुमेला से सम्बन्धित इन्जरी रजिस्टर को प्रदर्श क–2 के रुप में प्रमाणित किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से ऐसा कोई नूतन तथ्य सन्दर्भित नहीं किया गया जो अभियोजन कथानक व अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप को बल प्रदान करता हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू–4 रि० एस०आई० सरोज पाण्डेय** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं गोरखपुर जनपद में 1993 से 2004 तक हेड का० के पद पर तैनात थी। महिला थाना वर्ष 1998 से 2004 तक हेड मुहरिर व HCP पद पर नियुक्त थी। दिनांक 30.06.1999 को थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी उस दिन वादिनी हुमेलिया पत्नी रुपई पासी निवासी ग्राम सनहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जिस पर खुद का निशानी अँगूठा लगा हुआ थाना महिला पर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेश पारित किया गया था। जिसके आधार पर मैंने चिक संख्या 20/99 मुकदमा अपराध सं० 20/99 धारा 323, 504, 506, 452 IPC व 3(1)(X) SC/ST PA Act बनाम शंकर यादव वगै० चार नफर के विरुद्ध महिला थाना गोरखपुर पर मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। जो शामिल मिशिल कागज सं०–4क है जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख और हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श–क5 डाला गया। इस मुकदमे की कायमी नकल रपट संख्या 21/18.05 बजे दिनांक 30.06.1999 को मेरे द्वारा किता किया गया है। जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व सूक्ष्म हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श–क6 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू–4 से जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वर्ष 1998 में मेरी पोस्टिंग महिला थाने पर हुई थी। महिला थाने पर मैं वर्ष 2004 तक कार्यरत थी। मुझे याद नहीं है कि वादिनी मुकदमा अकेले आयी तहरीर लेकर या कोई उसके साथ और भी था। दिनांक 30.06.1999 को दरखास्त लेकर आयी थी किस समय आयी थी मुझे याद नहीं है। उस समय मैं हेड मुहर्रिर के पद पर अकेले महिला थाने पर नियुक्त थी। कार्यलेख मेरे द्वारा ही संचालित होता था। मेरे ड्यूटी उस समय 24 घण्टे होती थी। दरखास्त हाथ से लिखा हुआ घर से लेकर आयी थी। मैंने वादिनी से कोई पूछताछ नहीं की थी क्योंकि मुझे थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का लिखित आदेश दिया गया था। थानाध्यक्ष द्वारा यदि वादिनी से कोई पूछताछ किया गया हो तो उसके संबंध में मैं नहीं बता सकती हूँ। मुकदमें की विवेचना C.O. कैण्ट द्वारा संचालित किया गया था। मुकदमे दर्ज होने के बाद उसी दिन नकल चिक व नकल रपट विवेचक के पास भेज दी गयी थी। मुकदमा दर्ज होने के पूर्व वादिनी मुकदमा व अभियुक्तगणों के बीच कोई समझौता हुआ था कि नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ। इस मुकदमे के पूर्व कोई गैरदस्तनदाजी मुकदमा पंजीकृत हुआ था कि नहीं मुझे इस समय याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वादिनी हुमेलिया के प्रभाव में आकर फर्जी ढ़ग से मुकदमा पंजीकृत किया था।

यह साक्षी प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी मुकदमें की जी0डी0 की लेखक है जिसने अपने सशपथ बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 व मुकदमे की कायमी प्रदर्श क–6 स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने की पुष्टि की है। यह तथ्य की

गवाह नहीं है मात्र औपचारिक साक्षी है जिसने अपने पदीय कर्तब्य के निर्वहन में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता करके मुकदमें की कायमी का इन्द्राज थाने के रोजनामचा आम में किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू–5 ओम प्रकाश पाण्डेय** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं जून 1999 में क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पद पर तैनात था। वादिनी मुकदमा हुमेलिया पासी पत्नी रुपई पासी ग्राम सनहा थाना– खोराबार जनपद गोरखपुर के तहरीर पर महिला थाना गोरखपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 20/99 धारा 323, 504, 506, 452 IPC व 3(1)X SC/ST Act के अन्तर्गत दिनांक 30.06.1999 को समय 18:05 बजे अभियुक्तगण शंकर यादव, बैजनाथ यादव, अच्छेवर यादव, रामनरायन यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमे की विवेचना पंजीकृत होने के बाद मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचना के क्रम में मैंने मुकदमें से संबंधित तथ्य के साक्षीगण व औपचारिक साक्षीगण का बयान लेकर उसका तस्करा केस डायरी में किया। घटनास्थल पर जाकर वादिनी/गहावान की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली कागज सं० 6–क है। जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। तमामी विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर मामले में अभियुक्तगण शंकर यादव, बैजनाथ यादव, रामनरायन यादव, अच्छेवर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 452 IPC व 3(1)X SC/ST Act का अपराध कारित किया जाना सत्य पाते हुए उक्त अपराधों के अन्तर्गत आरोप पत्र सं० 22/1999 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करके दिनांक 05.10.1999 को न्यायालय में प्रेषित किया। जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3क है जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श–क4 डाला गया। मैंने विवेचना के क्रम में वादिनी हुमेलिया, भानुमति, सुरेश, पारस, रामजीत, ध्रुवनरायन, का० हे० मु० सी.पी. श्रीमती सरोज पाण्डेय व डा० एस. एस. ठाकुर का बयान लेकर केस डायरी में उल्लेख किया।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू–5 से जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह FIR महिला थाने में दर्ज हुआ था। यह कहना सही है कि घटना स्थल का क्षेत्र थाना खोराबार क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। वादिनी द्वारा थाना खोराबार में घटना की कोई सूचना दिया गया था कि नहीं इसकी जानकारी दौरान विवेचना मुझे नहीं हो पायी। तहरीर का अवलोकन मैंने किया था। यह सही है कि वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर पर तिथि अंकित नहीं की थी। यह सही है कि घटना की तिथि 28.06.1999 की कही जाती है जबकि इसकी रिपोर्ट तीसरे दिन दिनांक 30.06.1999 को अंकित करायी गयी है। मैंने नहीं पूछा था कि FIR दो दिन बाद क्यों दर्ज करायी गयी थी। अभियोग पंजीकृत होने के तत्काल बाद मैंने विवेचना ग्रहण की थी। विवेचना ग्रहण करने का उल्लेख मैंने केस डायरी में किया था लेकिन आज मेरे पास केस डायरी उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं बता सकता कि किस पर्चे में उल्लेख है। मैंने नक्शा नजरी तैयार किया था। यह सही है कि नक्शानजरी पर कोई तिथि नहीं दिख रही है कि वह किस तिथि को तैयार किया गया था। नक्शानजरी में मैंने वादिनी का मकान A से दर्शाया है। नक्शा नजरी में मैंने अभियुक्त शंकर का मकान भी दर्शाया है जो वादिनी के मकान के उत्तर तरफ है। अभियुक्त शंकर व वादिनी के मकान के बीच में रोड है जिसके किनारे बिजली का पोल भी लगा हुआ था। वादिनी के घर से सटे गब्बू

का मकान संकेत B से दर्शाया है गब्बू का मकान मैंने नहीं लिया था। संकेत Z से मैंने विवादित जमीन को दर्शाया है उस जमीन का विवाद किस–किस के बीच था उसकी जानकारी दौरान विवेचना मैने नहीं पायी थी। मैंने दौरान विवेचना जिन गवाहान सुरेश का बयान अंकित किया था वह वादिनी का पटीदार था कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जिस विवादित जमीन के बारे में कहा जाता है उस विवादित जमीन के किसी भी पक्ष ने अपने होने का दावा या प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। मैंने विवेचना के दौरान कोई लाठी डण्डा बरामद नहीं किया था। प्रश्न– क्या आपने डॉक्टर का बयान लिया था? उत्तर– हाँ।, प्रश्न– केस डायरी के किस पर्चे में आपने डॉक्टर के बयान का उल्लेख किया है? उत्तर– मुझे याद नहीं है कि किस पर्चे में डॉक्टर का बयान अंकित किया था।, प्रश्न– मेरे पास जो केस डायरी उपलब्ध है उसमें डॉक्टर का बयान अंकित नहीं है इस संबंध में आपको क्या कहना है? उत्तर– मेरे समक्ष केस डायरी उपलब्ध नहीं है इसलिए में नहीं बता सकता। मेडिकल का मैंने अवलोकन किया था। मेडिकल में चोटें साधारण प्रकृति की थी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा चोट की अवधि मेडिकल रिपोर्ट होने से एक दिन पहले बताया है। जिस जमीन को विवादित कहा जाता है उस जमीन के संबंध में कोई सिविल वाद दोनों पक्षों के बीच चल रहा था कि नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हो पायी। नक्शा नजरी में मैंने रामानंद पुत्र पुन्नू का मकान मैंने दर्शाया है मैंने उनका बयान नहीं लिया था। मैने चोटहिल के हाथ का कोई X–Ray नहीं कराया था क्योंकि डॉक्टर ने X–Ray की सलाह नहीं दी थी। यह सही है कि चोटहिल हुमेलिया का डॉक्टरी परीक्षण पुलिस ने नहीं कराया था बल्कि उसके जानने वाले सुरेश ने कराया था। यह कहना गलत है कि मैंने मुकदमे की निष्पक्ष व उचित विवेचना नहीं किया। यह भी कहना गलत है कि मैंने औपचारिकतावश आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। यह भी कहना गलत है कि मैंने स्वतंत्र साक्षियों का बयान लिये बिना बिला किसी साक्ष्य के गलत आरोप पत्र प्रेषित किया।

यह साक्षी प्रस्तुत मामले के विवेचक है जिनके द्वारा विवेचना के दौरान सम्पादित की कार्यवाही व कार्य के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालयय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न सम्मानित निर्णयज में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण का परिणाम साक्ष्य नहीं है और दोष का निष्कर्ष पुलिस द्वारा अन्वेषण के परिणाम पर आधारित नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्षी धनुष धारी डी०डब्लू०–1 ने शपथ पर बयान किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण को दोनों को मैं जानता व पहचानता हूँ क्योंकि दोनों लोग मेरी ही गाँव के रहने वाले हैं। वादिनी हुमेलिया के सगे पट्टीदार गब्बू थे। गब्बू शंकर के घर रहते थे। सेवा सत्कार शंकर के परिवार के लोग करते थे जिसके कारण स्वेच्छा से गब्बू ने शंकर व इनके परिवार को उक्त जमीन स्टैम्प पर लिखित दे दिया था एवं काबिज भी करा दिया था जिसके कारण हुमेलिया शंकर आदि को क्षति पहुंचाने के फिराक में रहती थी तथा दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमा भी करा दिया था जिसके बाद में समझौता के क्रम में हुमेलिया के परिवार के लोगों को दे दिया गया था जिस पर वह आज भी काबिज है। इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था न ही कोई जाति सूचक गाली ही दिया गया था।

प्रतिरक्षा साक्षी धनुष धारी डी०डब्लू०–1 से अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा विस्तार से जिरह की गयी है। प्रतिरक्षा साक्षी धुनष धारी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मेरा घर सहना में है। मेरे गाँव में कुल आबादी पाँच–छः सौ है। मेरे गाँव में यादव, पासी, गुप्ता, मोहमदन, हरिजन निवास करते हैं। मुझे गवाही हेतु शंकर(अभियुक्त) के परिवार बुलाकर लाये हैं। मैं जो देखा था वही बता रहा हूँ किसी के कहने पर नहीं दे रहा हूँ। हुमेलिया पासी पत्नी स्व० रुपई है। इस मुकदमे की वादिनी हुमेलिया की मृत्यु हुए लगभग 15–20 वर्ष हुए। इस मुकदमे के अभियुक्त शंकर यादव, बैजनाथ यादव, अछैबर यादव, राम नरायन यादव को जानता हूँ। अभियुक्त शंकर व अछैबर यादव की मृत्यु लगभग 14 वर्ष पूर्व हो चुकी है व शंकर यादव की मृत्यु लगभग 17/18 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इतना पुराना मुकदमे होने के बावजूद मुझे याद है कि वादिनी व अभियुक्त के बीच किसी प्रकार का विवाद मेरी जानकारी में नहीं हुआ है। इस मुकदमे की वादिनी हुमेलिया के सगे पट्टीदार गब्बू थे। गब्बू की मृत्यु हुये लगभग 14–15 साल हुए। गब्बू ने शंकर यादव को जमीन लिख दिया था। शंकर यादव ने ही इनका सेवा भाव करता था। मैं गांव भर का विवाद नहीं जानता हूँ। यह मेरे घर के सामने के दोनों लोग हैं इसलिए मैं इन दोनों लोगों के परिवार के बारे में जानता व पहचानता हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान शंकर यादव वगै० से आर्थिक लाभ लेकर सही बात नहीं बता रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि शंकर यादव के परिवार से मेरे अच्छे संबंध है उन्हें बचाने की गरज से आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान शंकर यादव के कहने पर उनके बताने अनुसार बयान दिया हूँ।

इस प्रकार साक्षी द्वारा अपने मुख्य बयान एवं जिरह में अभियोजन कथानक का विरोध करते हुए घटना से इन्कार किया गया। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह उसी गांव का निवासी है तथा दोनो पक्षों के घर के सामने उसका घर है। इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था न ही कोई जाति सूचक गाली ही दिया गया था।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी साक्षी के मात्र पक्षद्रोही घोषित होने के आधार पर ही उस साक्षी के साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। परन्तु ऐसे मामलों में अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु ऐसे अन्य साक्ष्यों का विद्यमान होना आवश्यक है, जो अभियुक्त को स्पष्ट रूप से मामले में संलिप्त करती हो एवं उसके दोषी होने की ओर संकेत करती हो। परन्तु प्रस्तुत मामले में परीक्षित चोटहिल एवं अन्य साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा घटना कारित न किये जाने का परिसाक्ष्य दिया गया है।

अभिकथित घटना में तथ्य के साक्षी द्वारा अभियुक्त की भूमिका के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी मामले में चोटहिल प्रत्यक्षदर्शी को घटना का सबसे उत्कृष्ट साक्षी माना जाता है, क्योंकि मामले में संलिप्त किसी अभियुक्त की भूमिका की सत्यता के तथ्य से वह न्यायालय को वंचित नहीं करेगा।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भोगन भाई हीरा जी भाई बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 753** के मामले में किये गये सम्प्रेक्षण का उद्धरण समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जिस प्रकार एक गवाह जिसे चोट लगी है

(जो आत्मकृत्य न हो) वह इस बात का सर्वोत्तम साक्षी है, अतः वह वास्तविक अपराधी को निर्दोष नहीं ठहरायेगा।

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में परीक्षित साक्षियों पी०डब्लू०-1 ता पी०डब्लू०-5 को तथ्यगत साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है किन्तु साक्षी पी०डब्लू०-2 को छोड़कर किसी भी अन्य अभियोजन साक्षी द्वारा इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया गया है कि उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए देखा और पहचाना। वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी सुरेश पासी के साथ रहती है। शंकर यादव हम हरिजनों की जमीन जबरन.......... रहे है। महिला थाना ने भी उन्हे विवाद निपाटने के लिए कहा था परन्तु नही माने। दिनांक 28-06-1999 को जब शंकर यादव विवादित भूमि को घेरने लगे तो हम प्रार्थिनी और हमारे भतीजा सुरेश उन्हे रोकने लगे इस पर वे अपने लडको वैजनाथ व अक्षैवर तथा राम नरायन यादव पुत्र जगमोहन यादव को लाठी डण्डा व कट्टे से लैस होकर के हमारे दरवाजे पर आये और सुरेश को न पाकर उपरोक्त लोगो ने लाठी डण्डा से पीटना शुरु किया और शंकर यादव ने मेरा गला दबा दिया। किसी तरह गांव के बीच बचाव से प्रार्थिनी बच पायी। जाते समय अभियुक्तो ने यह धमकी दिया कि यदि थाने गयी तो तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार को जान से मार डाला जायेगा। शंकर यादव गुण्डो के बल पर हमारे जमीन को जबरन घेरा रहे है। वादिनी मुकदमा तथा चोटहिल सुरेश की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है जिस कारण अभियोजन द्वारा उनका साक्ष्य अंकित नही कराया गया है। अभियुक्तगण की पहचान संबंधी साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के कारित किये जाने के तथ्य को साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण के परिसाक्ष्य के अंतर्निहित कथनों से अभियुक्तगण की मामले में किसी प्रकार की कोई संलिप्तता प्रकट नहीं होती है तथा माननीय न्यायालय के उक्त सम्प्रेक्षण के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले के तथ्य के सभी साक्षीगण के परिसाक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93) ए.सी.सी.पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि "कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।"

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 463** में यह अवधारित किया गया कि" परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता हो, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम विटटू 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 469** में अभिमत व्यक्त किया कि "आशय मात्र साबित होना अभियुक्त की दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है।"

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **जयहिन्द सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 10** में यह अवधारित किया कि "चूंकि अभियोजन पक्ष की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

दौरान मुकदमा अभियुक्तगण शंकर यादव व अक्षैवर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की गयी है।

उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण बैजनाथ यादव व रामनरायन यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323/34,504,506,452 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण बैजनाथ यादव व रामनरायन यादव को धारा–323/34,504,506,452 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के आरोप से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न होने के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण बैजनाथ यादव व रामनरायन यादव को धारा– 323/34, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के आरोप से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित ने होने के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण के स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा भा०ना०सु०सं० की धारा– 481 के अनुपालन में स्वबंध पत्र व प्रतिभू पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

दिनांकः–26–03–2026 **(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)**

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर

I.D. No.–UP6051

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–26–03–2026 **(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)**

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर

I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.26 17:34:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court